न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

सत्र परीक्षण सं० 326/2017
राज्य – बनाम – गौरव आदि

आदेश

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने उन तथ्यों एवं साक्ष्यों का उल्लेख किया जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कथित अभियोग सावित किया जाना है। इस सन्दर्भ में अभियुक्तगण को व्यक्तिगत रूप से सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मेरे विचार से अभियुक्तगण गौरव, आलोक व देवेन्द्र के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 307, 323, 171 ग भा.दं.सं. व 123, 134 बी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। तदनुसार उनके विरूद्ध उक्त अभियोग के अन्तर्गत आरोप र्निमित किये जाये।

दिनॉक : 19.11.2021

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

सत्र परीक्षण सं० 326/2017

राज्य – बनाम – गौरव आदि

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी आप अभियुक्तगण गौरव, आलोक व देवेन्द्र को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ कि :–

1– यह कि दिनाँक 28.11.2015 समय 9.00 बजे वस्थान मतदान केन्द्र के बाहर रास्ता सुल्तानगंज वहद थाना बिछवाँ जिला मैनपुरी में आपने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा पवन कुमार के पक्ष के लोगों को मारपीट करने के आशय से विधि विरूद्ध जमाव कर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग किया। इसप्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनाँक समय व स्थान पर आपने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा पवन कुमार के पक्ष के लोगों को मारपीट करने के आशय से घातक आयुधों से सज्जित होकर वल्वा किया। इसप्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय वस्थान पर आपने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव कर कमलेश व उसकी भतीजी सुमन को मारपीट करते समय उन्हें बचाने आये वादी मुकदमा पवन कुमार के भाई कृष्ण कुमार उर्फ देवू को जान से मारने की नियत से असलाहों से फायर कर उसके सिर में आग्नेयास्त्र की चोट पहुँचायी, आपके उक्त कार्य द्वारा यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इसप्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा 307 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय वस्थान पर आपने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव कर कमलेश व उसकी भतीजी सुमन को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इसप्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा 323 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय वस्थान पर आपने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा पवन कुमार के गाँव के कमलेश को निर्वाचन में वोट डालने से रोक कर उसके निर्वाचन अधिकार के निर्वाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप कारित किया।

इसप्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा 171 ग के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय वस्थान पर आपने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा पवन कुमार के गाँव के कमलेश को निर्वाचन में मत देने से विरत करने के लिए उत्प्रेरित किया। इसप्रकार आपने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 अ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय वस्थान पर आपने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा पवन कुमार के गाँव में हो रहे ग्राम पंचायत के मतदान के समय मतदान स्थल के पास आयुध ले जाकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134B के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपित अपराध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक : 19.11.2021

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

आरोप उपरोक्त अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मॉग की।

दिनॉक : 19.11.2021

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी